


लोक हित में मुकद्दमे
(P.I.L.)

प्रस्तावना

आर्थिक या अन्य अयोग्यताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को मुफ्त एवं उचित कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण का गठन किया गया है। न्याय केवल न्यायालयों में लंबित वादों तक सीमित नहीं है। कानूनी जागरूकता व साक्षरता, विधिक सहायता के स्तम्भ है। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (हालसा) कानूनी जागरूकता व साक्षरता के लिए प्रयासरत है। हालसा द्वारा राज्य के विभिन्न गांवों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किये गये हैं, जिनमें पराविधिक स्वयं सेवक व पैनल के वकील विधिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके ईलावा हालसा द्वारा कानूनी जागरूकता व साक्षरता अभियान चलाया हुआ है। आम लोगों तक कानूनी ज्ञान पहुंचाने के लिए हालसा द्वारा सरल भाषा में विभिन्न विषयों पर पुस्तिकाएँ छपवाई गई हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित न रह सके व अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग कर सके। यह पुस्तिका उन्ही में से एक है। अब तक हालसा 1,35,000 कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाएँ आम लोगों में बंटवा चुका है। इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुये अब हालसा 27,00,000 सरल भाषा में कानूनी ज्ञान की पुस्तिकाएँ छपवा कर ग्रामीण व मलिन बस्तियों के लोगों को कानूनी अधिकारों बारे जागरूक करने जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका आप सब के लिए उपयोगी होगी व आपके कानूनी ज्ञान के लिए मार्गदर्शिका बनेगी।

दिनांक:1.1.2012


(दीपक गुप्ता)
सदस्य सचिव

पी.आई.एल. का तात्पर्य

- प्र० लोक-हित मुकदमों या पी.आई.एल (पब्लिक इन्ट्रस्ट लिटिगेशन) का क्या अर्थ है ?
- उ० इससे प्रयोजन है आम जनता या किसी विशेष वर्ग के लोगों के हित को लागू करने के लिए न्याय के मंदिर में वैधिक कार्यवाही आरम्भ करना जिससे जनता या किसी विशेष वर्ग या समुदाय के वैधिक अधिकार और दायित्व पूर्ण किये जा सकें।

पी.आई.एल कानूनी सहायता अभियान का एक अभिन्न अंग है। इसका लक्ष्य है गरीब जनता को न्याय दिलाना। वह लोग जो न्यायालयों तक अकेले नहीं पहुँच पाते, यह उन्हें न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसका आरंभ विशेषतया उस वर्ग के लोगों को सुविधा देने के लिए किया गया जिन्हें उनके संवैधानिक और वैधिक अधिकार नहीं मिल पाये हैं क्योंकि वह अपनी सामाजिक और आर्थिक दुर्बलता के कारण न्यायालयों के द्वार तक नहीं पहुँच पाते।

“आज करोड़ों लोगों की आस न्यायालयों से बंधी हुई हैं, ये लोग जो गरीब और मानवता के उस वर्ग से आते हैं, जो आघात योग्य हैं। वे अपने जीवन की व्यवस्था के सुधार के लिए और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए न्यायालयों की ओर निगाहें बिछाये बैठे हैं। भाग्यवश धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है और लोक-हित मुकदमों ऐसा बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

लोक-हित मुकदमों का आरम्भ

- प्र० लोक-हित मुकदमों का उदगम् किस देश से हुआ ?
- उ० इस शब्द पी.आई.एल. या पब्लिक इन्ट्रस्ट लिटिगेशन का प्रारम्भ युनाइटेड स्टेट्स में 1960 के दशक के अर्ध से हुआ।

प्र० किस प्रकार उस देश में उसका विकास हुआ ?

उ० उन्नीसवीं शताब्दी से जनता के हित को प्रोत्साहन देने के लिए कई अभियान आरम्भ हुए जो कानूनी सहायता अभियान के अंग थे। पहला कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कार्यालय 1876 में न्यूयार्क शहर में आरम्भ हुआ। 1960 के दशक से पी.एल.आई अभियान को ईकानामिक ऑपरच्यूनिति (Economic Opportunity) के कार्यालय से आर्थिक सहायता प्रदान होनी आरम्भ हो गई। इस कारण अधिवक्ताओं और जनता के हित में कार्य कर रहे व्यक्तियों को प्रोत्साहन मिल सका कि वह गरीब तथा शोषित वर्ग के लोगों के मामलों को न्यायालय के समक्ष रख सकें और कमजोर वर्ग, उपभोक्ताओं का शोषण तथा पर्यावरण जैसे मुद्दों को उठा सकें।

प्र० इंग्लैंड में पी.आई.एल. का आरम्भ कब हुआ ?

उ० इंग्लैंड में पी.आई.एल. का आरम्भ 1970 के दशक से लार्ड डैनिंग के काल से हुआ। उन्होंने वादी बनकर कई जन कल्याण सम्बन्धी मुद्दों न्यायालय में उठाए।

भारत में पी.आई.एल. का इतिहास

प्र० भारत में पी.आई.एल. अभियान कब आरम्भ हुआ ?

उ० भारत में लोक-हित मुकदमों का आरम्भ 1970 के दशक के अन्तिम वर्षों से हुआ और 1980 के दशक तक यह पूरी तरह से अपनी जगह बना पाया।

प्र० इसका आरम्भ किसके द्वारा हुआ ?

उ० न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्णा अय्यर तथा न्यायमूर्ति पी.एन.भगवती जो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सुनाए जिसके द्वारा पी.आई.एल. के क्षेत्र में विस्तार हो सका।

प्र० आरम्भ में कौन से महत्वपूर्ण पी.आई.एल. मामले उठाए गए ?

- उ० 1. रतलाम नगर निगम मामले जिसमें नगर निगम का नागरिकों के प्रति कर्तव्य का मुद्दा सामने लाया गया;
2. बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस जिसमें खदान में काम कर रहे मजदूरों का मुद्दा उठाया गया;
3. एशियाड मजदूरों का मामला जिसमें सरकार द्वारा मजदूरों को निर्माण के कार्य में लगाये जाने के बाद उन्हें न्यूनतम मजदूरी प्रदान नहीं की गई थी;
4. चार्ल्स शोभराज तथा सुनिल बत्रा के केस में कारागार में यंत्रता के मामले (देखे AIR 1980 SC 1579)
5. बिहार के कारागार में बन्द 2900 विचाराधीन कैदियों का मामला श्रीमति कपिला हिंगोरानी, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा उठाया गया है।

प्र० उच्चतम न्यायालय ने शब्द पी.आई.एल. का प्रयोग प्रथम बार अपने किस निर्णय में किया ?

- उ० फर्टिलाइजर कोर्पोरेशन कामगार यूनियन बनाम भारत राज्य (AIR 1981 SC 344) में न्यायमूर्ति पी.एन.भगवती द्वारा प्रथम बार अपने निर्णय में पी.आई.एल. का प्रयोग किया। इस फैसले में शब्द “ऐपिस्टोलेरी जैयूरिस्टिकशन” का प्रयोग भी किया गया जो पत्र-याचिका के संदर्भ में था।

आवश्यकता

प्र० उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने पी.आई.एल. किस प्रायोजन से आरम्भ किया ?

- उ० उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों को लगा कि :-

कानून का संरक्षण केवल धनाढ्य और राजनैतिक रूप से सशक्त लोगों को ही प्राप्त है। गरीब वर्ग के लोगों के अधिकार सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गये हैं। वास्तव में उनका कोई अर्थ नहीं है। सामान्य जनता को उसके नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारी के अस्तित्व का अनुभव केवल लिखित रूप में ही है। किन्तु व्यवहारिक तथा यथार्थ रूप में नहीं है;

गरीब और अनपढ़ लोग न तो अपनी विधिक समस्या को समझ पाते हैं और न ही वे न्यायालय तक समाधान के लिए पहुँच पाते हैं। साथ ही पारंपरिक विधिक प्रक्रिया आम लोगों की पहुँच से बाहर है क्योंकि वह जटिल है, अधिक खर्चीली है और बहुत धीमी है। इस प्रणाली के माध्यम से उनकी समस्या का निवारण नहीं हो सकता।

समय आ गया है कि न्यायालय सिर्फ धनाढ्य वर्ग की आवाज न बनकर गरीब और शोषित समाज के साथ मिलकर उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग दें;

न्यायिक तंत्र सामाजिक न्याय के लिए एक उपयोगी हथियार साबित हो।

पी.आई.एल. के उद्देश्य

प्र० पी.आई.एल. के उद्देश्य क्या हैं ?

उ० न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्णा अय्यर के अनुसार पी.आई.एल. लोगों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया है। यह वैधिक प्रक्रिया लोगों की समस्या उठाने व उनकी आवाज बुलन्द करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य है आम लोगों को न्याय दिलाना और उनकी वैधिक समस्याओं की सुनवाई कर उन्हें राहत पहुँचाना।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गयी नीति

- प्र० उच्चतम न्यायालय द्वारा पी.आई.एल. के सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई गयी ?
- उ० उच्चतम न्यायालय द्वारा पी.आई.एल. सम्बन्धी ऐसी नीति अपनाई गयी जिससे गरीब और असहाय जनता को आसानी से न्याय मिल सके (देखे AIR 1986(4) SCC 767)

लोक-हित मुकदमों का स्वरूप

प्र० लोक-हित मुकदमों की प्रकृति क्या है ?

उ० न्यायमूर्ति भगवती के अनुसार “लोक-हित मुकदमे पारंपरिक न्याय प्रणाली से अलग हैं पर यह सरकार के सामने एक चुनौती रखते हैं और उसे अवसर प्रदान करते हैं की वह गरीब और शोषित लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान कर सकें और संवैधानिक लक्ष्यों को पूर्ण कर सकें। सरकार और उसके अधिकारियों को लोक-हित मुकदमों की प्रणाली का स्वागत करना चाहिए क्योंकि यह उन्हें अवलोकन करने का अवसर प्रदान करती है कि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके अधिकार प्राप्त हो रहे हैं या फिर वे अभी भी उन बलवान लोगों का, जैसे भूमिपति, समृद्ध व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि के दमन का शिकार बने हुए हैं। जब न्यायालय लोक हित मुकदमों पर विचार करती है तो यह सरकारी अधिकारियों के काम में दोष निकालने के लिए नहीं, न ही उनकी प्रताड़ना करने के लिए या उनकी शासकीय अधिकारिता में कमी को छिपाने के लिए किया जाता है। बल्कि सामाजिक और आर्थिक, राहत कार्यक्रम, जो गरीबों के लिए चलाए जा रहे हो उनका पालन करने के लिए तथा ऐसे लोगों के मौलिक तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध और शासकों को उनके संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के लिए ही किया जाता है। न्यायालय इस प्रकार संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करती है।”

लोक हित मुकदमों के पीछे धारणाएँ

प्र० लोक-हित मुकदमों के पीछे क्या धारणाएँ हैं ?

उ० 1) गरीब और कमजोर लोगों के मौलिक अधिकारों को न्यायालयों द्वारा सही प्रकार से लागू किया जाए तभी समाज में मूलभूत परिवर्तन लाया जा सकता।

2) पी.आई.एल. के निर्माताओं द्वारा जो यह नई तकनीक विकसित की गयी है इससे देश की न्यायिक प्रणाली में व्यापक बदलाव लाया जा सकता है।

3) सार्वजनिक कार्यालय जो आम जनता के लिये चलाये जाते है वह जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। निजि क्षेत्रों का सांसद के प्रति उत्तरदायी होना अवाँछनीय है। इस प्रकार के मामलों में न्यायालयों का दायित्व है कि वह हस्तक्षेप करें (देखें AIR 1981 SC 434)

पी.आई.एल. में नये तत्व

प्र० लोक-हित मुकदमें में वह क्या तीन नये तत्व हैं जो समाविष्ट किए गए ?

- उ०
- 1) “वैध स्थिति” (Locus Standi) सम्बन्धी कानून का उदारकरण;
 - 2) पी.आई.एल. याचिकाएँ दायर करने और उन पर विचार करने का आसान प्रक्रिया का उपयोग;
 - 3) संविधान के अनुच्छेदों 14, 21 तथा 32 के अर्थों एवं विषयों का व्यापक विस्तार।

संवैधानिक समर्थन

प्र० लोक हित मुकदमों के वर्तमान अभियान को व्यापक सामाजिक विस्तार किसके द्वारा प्राप्त हुआ ?

- उ० यह भारत के संविधान के भाग III जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में कहा गया है और भाग IV जो राज्य के नीति निदेशक तत्व सम्बन्धी हैं उनके नये और उदार निवर्चन लोक-हित मुकदमों द्वारा ही हो पाया है। ये क्रान्तिकारी दस्तावेजों जैसे अमेरिका का बिल ऑफ राइटस् तथा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमैन राइटस् तथा मानव अधिकारों सम्बन्धी सर्वव्यापी उद्घोषणा (American Bill of Rights and Universal Declaration of Human Rights) से लिए गए हैं।

- प्र० संविधान में कौन से प्रावधान हैं जो एक नागरिक को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के द्वार खटखटा सके ?
- उ० संविधान के अनुच्छेद 32 व 226 में दिए गए प्रावधान ।
- प्र० अनुच्छेद 32 के द्वारा भारतीय नागरिक को क्या अधिकार दिए गए हैं ?
- उ० अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी भारतीय नागरिक, अनुच्छेद 32 (1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में, संविधान के भाग III में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, उचित निर्देश, आदेश या रिट के लिए आवेदन करने के लिए सशक्त है। यह रिट विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट (Writ of habeas corpus), परमादेश रिट (writ of mandamus), प्रतिषेध रिट (writ of prohibition), अधिकारपृच्छा रिट (writ of certiorari) ।
- प्र० भारतीय संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या शक्तियाँ दी गई हैं ?
- उ० अनुच्छेद 226 के अनुसार हर उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अपने न्याय अधिकारों का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति या अधिकरण को निर्देश दे सकता है या रिट आदेश जारी कर सकता है। यह रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश रिट, उत्प्रेषण रिट, प्रतिबंध रिट या अधिकारपृच्छा रिट हो सकती है।
- प्र० क्या उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट आदेश जारी करने, निर्देश देने या आदेश देने सम्बन्धी शक्तियाँ समान हैं ?
- उ० जी हाँ।

- प्र० क्या उच्चतम न्यायालय ने समाज के कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उनके अर्थ व क्षेत्र का विस्तार किया है ?
- उ० जी हाँ। संविधान के अनुच्छेद 14, 21 व 32 को कमजोर वर्गों के पक्ष में विस्तृत किया गया है। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का निर्वाचन कर अब उसे जीविका के अधिकार को भी लागू किया गया है। इसी प्रकार समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 में दिया गया है अब उसमें निर्णय लेने में शासकीय और प्रशासनिक निरंकुशता के विरुद्ध अधिकार भी शामिल किया गया है।

“वैध स्थिति” (Locus Standi) का नया भाषांतर

- प्र० लैटिन भाषा के शब्द Locus Standi का क्या अर्थ है ?
- उ० यह लैटिन भाषा का शब्द, न्यायालय में मुकदमा दायर करने या न्यायालय में मुकदमा चलाने के वैधिक अधिकार की ओर संकेत करता है।
- प्र० पारंपरिक एंगलो-सेक्सन (पुरातन अंग्रेजी भाषा) के अनुसार इस शब्द का क्या अर्थ है?
- उ० परम्परागत धारणा के अनुरूप केवल वह व्यक्ति जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो, न्यायिक निवारण के लिए दावा कर सकता है। अन्य कोई भी मामले के निवारण हेतु आवेदन नहीं कर सकता। यह सिद्धान्त तब विकसित हुआ जब न्यायालय केवल व्यक्ति विशेष के अधिकारों के बारे में ही चिन्तित थे।

- प्र० क्या Locus Standi का पुराना सिद्धान्त वर्तमान के सामूहिक अधिकारों के युग में विकासशील समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त पाया गया ?
- उ० जी नहीं। इसी कारण आवश्यकता महसूस हुई कि Locus Standi (वैध स्थिति) के परम्परागत भाषांतर में बदलाव लाकर इसे विस्तृत किया जाए जिससे गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय प्राप्त हो सके।
- प्र० उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सिद्धान्त को क्या नयी व्याख्या दी गयी ?
- उ० इस सिद्धान्त की नयी व्याख्या के अनुसार यदि किसी वर्ग के अधिकारों की अवहेलना होती है और ऐसे व्यक्ति धन के अभाव में अथवा किसी अन्य प्रकार की असमर्थता के कारण न्यायिक निवारण प्राप्ति के लिए न्यायालय नहीं पहुँच सकते तो कोई भी लोकहितैषी व्यक्ति अथवा संस्था सदभावपूर्वक न कि बदले अथवा प्रतिशोध की भावना से प्रभावित होकर मामले के न्यायिक निवारण हेतु न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।
- प्र० किस निर्णय में वैध स्थिति के कड़े नियम को ढील दी गयी ?
- उ० एस.पी. गुप्ता बनाम भारत राज्य संघ (AIR 1982 SC 149) के मामले में सात न्यायाधीशों के संवैधानिक बैन्च ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि जनता में से कोई भी व्यक्ति सदभावनापूर्ण लोक हानि या लोक अन्याय निवारण हेतु उपयुक्त हितों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में आवेदन कर सकता है पर यह दस्तांदाज नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब अन्य व्यक्तियों या समूह या वर्ग विशेष जिसके साथ अन्याय हुआ हो और जो गरीबी, निर्धनता, निरक्षरता, अज्ञानता या सामाजिक दुर्बलता के कारण न्यायालय में आवेदन न कर सकता हो, उसके लिए याचिका दायर कर सकता है। न्यायालय ऐसे मामलों में प्रक्रिया को कड़े रूप से लागू करने के लिए आग्रह नहीं करेंगे।

- प्र० इस निर्णय का वह क्या महत्वपूर्ण भाग है जो "वैध स्थिति" से सम्बन्ध रखता है ?
- उ० इस निर्णय में कहा गया "अब यह पूर्ण प्रमाणित तथ्य है कि जब भी किसी व्यक्ति, वर्ग या समूह को वैधिक हानि होती है, या उनके साथ वैधिक रूप से अन्याय होता हो, जो उनके संवैधानिक या वैधिक अधिकार के उल्लंघन के कारण हुआ हो या फिर उन पर ऐसा भार थोपा गया हो जो संवैधानिक या वैधिक उपबंधों के विरुद्ध हो या कानून द्वारा अधिकृत न किया गया हो, साथ ही ऐसे व्यक्ति वर्ग या समूह अपनी निर्धनता, असहाय स्थिति, अक्षमता, सामाजिक या आर्थिक दुर्बलता, अज्ञानता के कारण न्यायालय तक राहत के लिए न पहुँच पाते हों, तब जनता का कोई भी सदस्य उचित निर्देश, आदेश या रिट के लिए हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के प्रावधानों के अनुसार तथा अन्तर्गत तथा उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत इस वर्ग के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में न्यायिक रूप से वैधिक हानि के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।"
- प्र० उच्चतम न्यायालय द्वारा जज ट्रान्सफर मामले में AIR 1982 SC 149 तथा (1994)4 SCC 305 "वैध समिति" सम्बन्धी क्या नियम दिया गया ?
- उ० न्यायालय के अनुसार जनता का कोई भी सदस्य उपयुक्त हित को ध्यान में रखते हुए न्यायालय में अन्य व्यक्तियों के संवैधानिक तथा वैधिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा सर्व-समस्या निवारण हेतु आवेदन कर सकता है।
- प्र० ऐसा लोक हितैषी व्यक्ति न्यायालय में कब आवेदन दाखिल कर सकता है?
- उ० जब किसी व्यक्ति या विशेष वर्ग के व्यक्तियों को वैधिक हानि पहुँचती हो या उनके साथ वैधिक अन्याय होता हो जो उनके संवैधानिक या वैधिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण हुआ हो और ऐसे व्यक्ति अपनी निर्धनता, असहाय स्थिति, अक्षमता या आर्थिक तथा सामाजिक दुर्बलता के कारण न्यायालय में राहत हेतु आवेदन करने में असमर्थ हो, तब जनता का कोई भी सदस्य उचित निर्देश, आदेश या रिट हेतु आवेदन कर सकता है।

वह व्यक्ति जो पी. आई. एल. दायर करने योग्य नहीं है

प्र० लोक हित मुकदमा कौन दायर करने में असमर्थ है ?

- उ०
1. वह व्यक्ति जो पर्याप्त लोक हित में कार्य न कर रहा हो,
 2. वह व्यक्ति जो निजि स्वार्थ के लिए कार्य कर रहा हो,
 3. वह व्यक्ति जो राजनीति में उलझा हो,
 4. वह व्यक्ति जिसका असदभावपूर्ण आशय हो।

प्र० क्या लोक हित मुकदमों द्वारा कोई तीसरा पक्ष जो मामले से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हो, ऐसे मामलों में जहाँ अभियुक्त दोषी पाया गया हो वह क्या ऐसे निर्णय को चुनौती देने की 'वैध स्थिति' में है ?

उ० जी नहीं। (देखें सिमरनजीत सिंह मान बनाम भारत राज्य संघ, 1992(4) SC 653) इस मामले में जनरल वैद की हत्या के लिए दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया। उन्हें मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने सहमति दी। अकाली दल के अध्यक्ष द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14, 21 व 22 में दिए गए मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु इस निर्णय को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत लोक हित मुकदमा दायर किया गया। न्यायालय ने कहा कि वादी याचिका दायर करने की वैध स्थिति में नहीं है क्योंकि वह इस मामले से अनभिज्ञ है और उसे दोषी व्यक्तियों द्वारा इसके लिए अधिकृत भी नहीं किया गया है।

उदारवादी विचारों का भय

- प्र० उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध स्थिति को उदार-दृष्टि से देखने के बारे में कुछ लोगों ने क्या भय प्रकट किया ?
- उ० उन्हें भय था कि इस प्रकार के उदारवादी विचारों के कारण न्यायालय में रिट याचिकाओं का ढेर लग जाएगा, इस कारणवश इसे बढ़ावा न दिया जाए।
- प्र० कोर्ट का इस आलोचना के प्रति क्या रवैया था ?
- उ० इस आलोचना के बारे में न्यायालय ने घोषणा की कि 'किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है वह अपने नागरिकों को यह कह सकें कि क्योंकि हमारे न्यायालयों में धनी वर्ग के कई मामले विचाराधीन हैं इसलिए वह न्यायालय में आकर न्याय माँगने वाले निर्धन वर्ग के मामलों की सुनवाई नहीं करेंगे। जब तक वह विचाराधीन मामले जो उन लोगों द्वारा दायर किए गये हैं जो धनी अधिवक्ताओं को अपना मामला सौंपने में समर्थ हैं, उनका निपटान नहीं होता। (देखें AIR 1983 SC 339)

लोक-हित मुकदमों सम्बन्धी मामले

प्र० किस प्रकार के मामले लोक-हित मुकदमों द्वारा उठाए जा सकते हैं ?

उ० वह विषय जो निम्नलिखित से सम्बन्ध रखते हों –

1. मूलभूत सुविधाएँ जैसे सडक, पानी, दवाईयाँ, बिजली, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, बस सुविधा इत्यादि;
2. विस्थापित लोगों का पुनर्वास;
3. बंधुआ एवं बाल मजदूरों की पहचान व पुनर्वास;
4. बन्दी व्यक्तियों को अवैध गिरफ्तारी में रखना;
5. पुलिस के संरक्षण में बन्दियों पर यंत्रण;
6. अभिरक्षा में मृत्यु;
7. कैदियों के अधिकारों का संरक्षण;
8. जेल सुधार;
9. विचाराधीन कैदियों की शीघ्र सुनवाई;
10. कालेजों में रैगिंग;
11. पुलिस द्वारा अत्याचार;
12. अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों पर अत्याचार;
13. सरकारी कल्याण गृहों में निवासियों की उपेक्षा;
14. अभिरक्षा में बच्चे;
15. बच्चों का दत्तकग्रहण;
16. सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले;

17. कानून तथा व्यवस्था कायम करना;
18. न्यूनतम मजदूरी देने सम्बन्धी मामले;
19. निर्धनों के लिए कानूनी सहायता;
20. भुखमरी के कारण मृत्यु;
21. अश्लील टेलीविजन कार्यक्रम;
22. प्रतिषेध;
23. दूषित पर्यावरण सम्बन्धी मामले;
24. सड़क पर तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का संरक्षण;
25. अनाधिकृत निष्कासन;
26. दहेज—मृत्यु;
27. कल्याणकारी कानून को लागू करना;
28. अवैध सामाजिक प्रथाओं जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा इत्यादि में सुधार;
29. कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन।